जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

Volume –2022/mmp/03 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | बुधवार, 5 जनवरी 2022

आवासीय भूखंड संख्या सी-8/13,चित्रकूट,एसबीबीजे रोड पर बिना अनुमति,बिना नक्शे पास करवाये,बिना सेटबेक छोड़े,बिना पार्किंग फेसेलिटी के अवैध बेसमेंट सहित 5 मंज़िला अवैध होटल का मामला!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या था? आवासीय भूखंड संख्या सी-8/13,चित्रकूट,एसबीबीजे रोड पर बिना अनुमति,बिना नक्शे पास करवाये,बिना सेटबेक छोड़े,बिना पार्किंग फेसेलिटी के अवैध बेसमेंट सहित 5 मंज़िला अवैध होटल का मामला?

जेडीए के रिकॉर्ड के अनुसार जेडीए के ज़ोन-7 मे स्थित आवासीय भूखंड संख्या सी-8/13 चित्रकूट पर 27 कमरो का होटल बनाया जा रहा है|जिसके लिए बिना सेटबेक छोड़े,बिना पार्किंग व्यवस्था के अवैध बेसमेंट सहित 5 मंजिलों का निर्माण करवाया जा चुका है|

हमारे द्वारा संज्ञान मे लाने के बाद जेडीए द्वारा अवैध निर्माणकर्ता को दिया गया धारा 32,33 के तहत नोटिस

हमारे द्वारा इस मामले को जेडीए आयुक्त श्री गौरव गालरिया और जेडीए मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर सैनी के संज्ञान मे लाने के बाद तुरंत कार्यवाही करते हुए इस अवैध निर्माणकर्ता को जेडीए एक्ट के तहत धारा 32 और 33 के नोटिस जारी किए गए|नोटिस मे बताया गया कि अवैध निर्माणकर्ता द्वारा ज़ीरो सेटबेक पर B+G+3 फ्लोर का व्यवसायिक निर्माण कर कुल 18 कमरो का निर्माण कर लिया गया है|उक्त निर्माण बिना स्वीकृति के होटल प्रयोजनार्थ है|

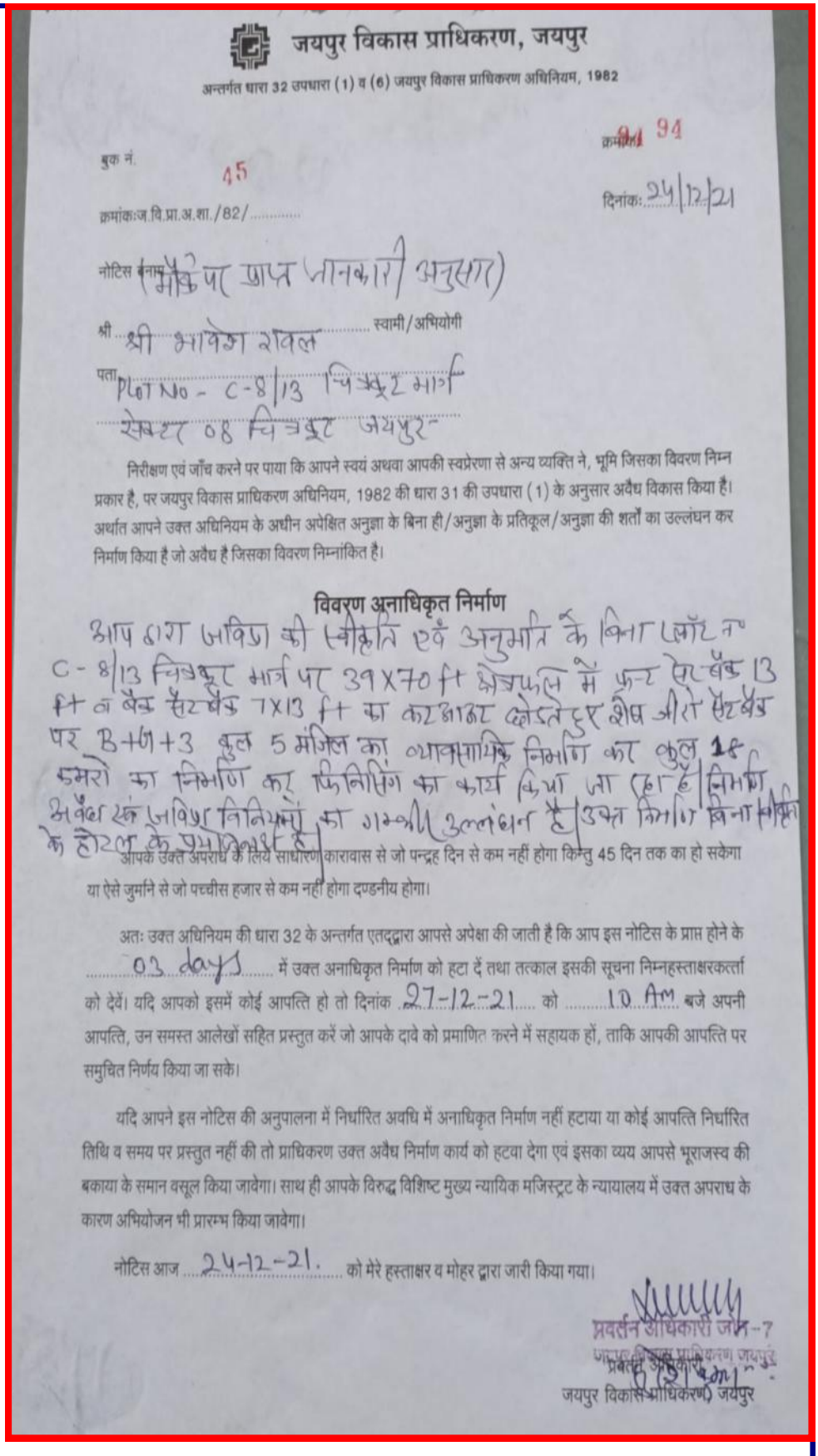

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अन्तर्गत धारा 32 उपधारा (1) व (6) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982

क्रमांक 94

बुक नं. 45

क्रमांकःज.वि.प्रा.अ.शा./82/..........

दिनांकः 24/12/21

नोटिस बनाम (मौके पर प्राप्त जानकारी अनुसार)

श्री श्री भावेश रावल .... स्वामी/अभियोगी

पता Plot No - C-8/13 चित्रकूट मार्ग सेक्टर 08 चित्रकूट जयपुर

निरीक्षण एवं जाँच करने पर पाया कि आपने स्वयं अथवा आपकी स्वप्रेरणा से अन्य व्यक्ति ने, भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है, पर जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 31 की उपधारा (1) के अनुसार अवैध विकास किया है। अर्थात आपने उक्त अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना ही/अनुज्ञा के प्रतिकूल/अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन कर निर्माण किया है जो अवैध है जिसका विवरण निम्नांकित है।

विवरण अनाधिकृत निर्माण

आप द्वारा जविप्रा की स्वीकृति एवं अनुमति के बिना प्लॉट नं. C-8/13 चित्रकूट मार्ग पर 39x70 ft क्षेत्रफल में फ्रन्ट सेटबैक 13 ft व बैक सेटबैक 7x13 ft का कटआउट छोड़ते हुए शेष ज़ीरो सेटबैक पर B+G+3 कुल 5 मंजिल का व्यावसायिक निर्माण कर कुल 18 कमरों का निर्माण कर फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है। निर्माण अवैध एवं जविप्रा नियमों का गम्भीर उल्लंघन है। उक्त निर्माण बिना स्वीकृति के होटल के प्रयोजनार्थ है।

आपके उक्त अपराध के लिये साधारण कारावास से जो पन्द्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु 45 दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार से कम नहीं होगा दण्डनीय होगा।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत एतदद्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस नोटिस के प्राप्त होने के 03 days में उक्त अनाधिकृत निर्माण को हटा दें तथा तत्काल इसकी सूचना निम्नहस्ताक्षरकर्ता को देवें। यदि आपको इसमें कोई आपत्ति हो तो दिनांक 27-12-21 को 10 AM बजे अपनी आपत्ति, उन समस्त आलेखों सहित प्रस्तुत करें जो आपके दावे को प्रमाणित करने में सहायक हों, ताकि आपकी आपत्ति पर समुचित निर्णय किया जा सके।

यदि आपने इस नोटिस की अनुपालना में निर्धारित अवधि में अनाधिकृत निर्माण नहीं हटाया या कोई आपत्ति निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्तुत नहीं की तो प्राधिकरण उक्त अवैध निर्माण कार्य को हटवा देगा एवं इसका व्यय आपसे भूराजस्व की बकाया के समान वसूल किया जावेगा। साथ ही आपके विरुद्ध विशिष्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उक्त अपराध के कारण अभियोजन भी प्रारम्भ किया जावेगा।

नोटिस आज 24-12-21. को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

नोटिस के बावजूद अवैधनिर्माणकर्ता के हौसले बुलंद,बदस्तूर जारी निर्माण कार्य

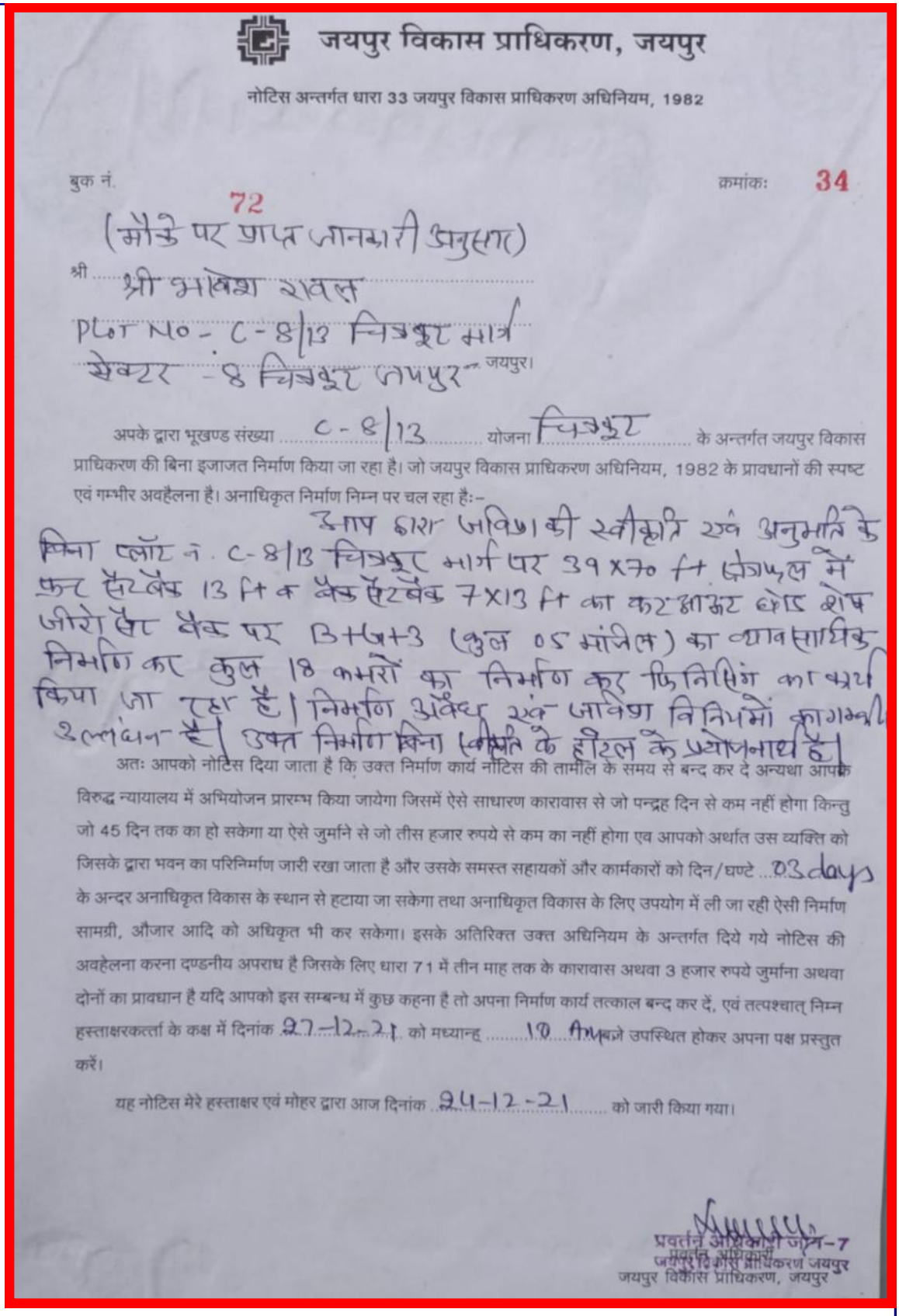

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

नोटिस अन्तर्गत धारा 33 जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982

बुक नं. 72 क्रमांकः 34

(मौके पर प्राप्त जानकारी अनुसार)

श्री श्री भावेश रावल

Plot No - C-8/13 चित्रकूट मार्ग

सेक्टर -8 चित्रकूट जयपुर जयपुर।

अपके द्वारा भूखण्ड संख्या C-8/13 योजना चित्रकूट के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण की बिना इजाजत निर्माण किया जा रहा है। जो जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 के प्रावधानों की स्पष्ट एवं गम्भीर अवहेलना है। अनाधिकृत निर्माण निम्न पर चल रहा हैः-

आप द्वारा जविप्रा की स्वीकृति एवं अनुमति के बिना प्लॉट नं. C-8/13 चित्रकूट मार्ग पर 39x70 ft क्षेत्रफल में फ्रन्ट सैटबैक 13 ft व बैक सैटबैक 7x13 ft का कट हाऊट छोड़ शेष जीरो सैट बैक पर B+G+3 (कुल 05 मंजिल) का व्यावसायिक निर्माण कर कुल 18 कमरों का निर्माण कर फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है। निर्माण अवैध एवं जावेता विनियमों का गम्भीर उल्लंघन है। उक्त निर्माण बिना स्वीकृति के होटल के प्रयोजनार्थ है।

अतः आपको नोटिस दिया जाता है कि उक्त निर्माण कार्य नोटिस की तामील के समय से बन्द कर दें अन्यथा आपके विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन प्रारम्भ किया जायेगा जिसमें ऐसे साधारण कारावास से जो पन्द्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु जो 45 दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो तीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा एव आपको अर्थात उस व्यक्ति को जिसके द्वारा भवन का परिनिर्माण जारी रखा जाता है और उसके समस्त सहायकों और कार्मकारों को दिन/घण्टे 03 days के अन्दर अनाधिकृत विकास के स्थान से हटाया जा सकेगा तथा अनाधिकृत विकास के लिए उपयोग में ली जा रही ऐसी निर्माण सामग्री, औजार आदि को अधिकृत भी कर सकेगा। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये नोटिस की अवहेलना करना दण्डनीय अपराध है जिसके लिए धारा 71 में तीन माह तक के कारावास अथवा 3 हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है यदि आपको इस सम्बन्ध में कुछ कहना है तो अपना निर्माण कार्य तत्काल बन्द कर दें, एवं तत्पश्चात् निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के कक्ष में दिनांक 27-12-21 को मध्यान्ह 10 AM बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

यह नोटिस मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर द्वारा आज दिनांक 24-12-21 को जारी किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इस भूखंड पर होटल के बन जाने से जहां यह बिल्डिंग अवैध की श्रेणी मे आ गयी है और जेडीए नोटिस पर नोटिस जारी कर रहा है,वहीं अभी भी भूखंड मलिक पर जेडीए के नोटिसो का किसी भी तरह का कोई फर्क नही पड़ रहा है| भूखंड मालिक द्वारा जेडीए नोटिसो के बावजूद गुपचुप तरीके से रात मे काम चलाया जा रहा है|स्थानीय व्यक्तियों द्वारा कई बार बिल्डिंग के अंदर मजदूरों को काम करते हुए देखा गया है| सूत्रों के अनुसार भूखंड मालिक NRI है जो कि काफी रसुखदार बताया जा रहा है|उसका कहना है कि ऐसे नोटिसो से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और इस होटल को बनने से कोई नहीं रोक सकता|

क्या कहना है? स्थानीय कॉलोनी के निवासियों का ?

कॉलोनीवासीयों का कहना है यदि जेडीए इस अवैध निर्माणकर्ता के दबाव मे नहीं आया और भविष्य मे इस अवैध निर्माण को सील कर दिया गया तो निश्चित रूप से इलाके मे हो रहे अवैध निर्माणों पर नकेल कसेगी|

जवाब मांगते सवाल?

1. कौन है होटल को बनाने वाले कर्ता-धर्ता?
2. कौन है वह रसुखदार जिसके दम पर अवैध निर्माणकर्ता इस होटल का निर्माण पूर्ण करने का दावा कर रहा है?
3. क्या जेडीए के द्वारा बिल्डिंग के बाहर नोटिस लगाने मात्र से रुक जाएगा अवैध निर्माण?
4. जेडीए के नोटिस पर अवैध निर्माणकर्ता द्वारा क्या जवाब दिया गया?
5. क्या अवैध निर्माणकर्ता द्वारा दिये गए जवाब जा परीक्षण वही जूनियर अधिकारी करेगा,जिसका इस अवैध बिल्डिंग बनाने मे हाथ है?
6. ज़ोन के जूनियर अधिकारी का क्या है इस अवैध बिल्डिंग मे रोल?
7. क्या जेडीए के इस नोटिस पर अवैध निर्माणकर्ता लेगा जेडीए ट्रिब्यूनल से स्टे?

8. क्या स्टे मिल जाने के बावजूद जारी रखेगा अवैध निर्माणकर्ता इस होटल का निर्माण कार्य?
9. क्या होगा जेडीए का अगला कदम इस अवैध निर्माणाधीन बिल्डिंग के खिलाफ?